निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 193/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र श्री किशना जाति अहीर निवासी ढाणी ठाकरावाली, तन ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मन मोहन मीणा आर ए एस सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. रामस्वरूप पुत्र श्री कालूराम जाति अहीर निवासी ढाणी ठाकरावाली, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सपठित धारा 151 सी. पी. सी.

उपस्थित:–

1. श्री कैलाश बागडा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या......... ब उनवानी रामस्वरूप बनाम बाबूलाल विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्व उनवानी प्रकरण रामस्वरूप बनाम बाबूलाल व अन्य अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 08.12.2021 को पेश हुआ था जिसमें नोटिस जारी कर दिनांक 13.12.2021 अंकित की गई थी। दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थी द्वारा अपनी उपस्थिति देने पहुंचने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथी को उसका जबाब देने का अवसर नहीं दिया जाकर सीधे ही आदेश करने बाबत कहा गया । प्रार्थी द्वारा न्यायालय से काफी गुहार किये जाने के पश्चात भी न्यायालय द्वारा पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई तारीख नहीं दी गई ना ही उसे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही के बारे में बताया गया। प्रार्थी उस समय वहां से चला गया। आते समय प्रार्थी को पता चला कि पक्षकार तो अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठा है और अपनी मनमर्जी अनुसार पत्रावली मे तारीख ले रहा है जिस कारण प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय से कोई उम्मीद नही है। न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय 02.10.2021 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष लम्बित है जिसके

जिला कलक्टर
जयपुर

सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय को अवगत करवा दिया गया था इसके बावजूद भी अपील मियाद गुजरने से पूर्व ही पारित डिकी दिनांक 02.10.2021 का नामान्तरकरण भी तहसीलदार शाहपुरा व पटवारी से मिलीभगत कर अप्रार्थी द्वारा खुलवा दिया गया जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 पहुंचा हुआ व्यक्ति है तथा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर अपनी मनमर्जी से कार्यवाही करवा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रकरण का अपने मन माफिक निर्णय करवाने पर आमादा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय की कतई कोई सम्भावना नही है। जिस कारण पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय से अप्रार्थी से उक्त प्रकरण की नकल दिलवाने बाबत निवेदन किया गया तो प्रार्थी द्वारा नकल देने से इन्कार कर दिया गया तथा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी को किसी प्रकार की न तो नकल दी जा रही है और ना ही उक्त प्रकरण में की जा रही किसी प्रकार की कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराया जा रहा है, जबकि अन्य प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की हडताल होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, बल्कि इसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा मनमर्जी अनुसार प्रार्थी के हितो पर विपरीत कार्यवाही करने के संबंध में दबाव बनाया जा रहा है और प्रार्थी को राजीनामा करने बाबत कहा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय को यह अवगत करवाये जाने बाबत कि मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील की जा चुकी है जिस में आदेश होना शेष है, इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा मनमर्जी पूर्वक आदेश किये जाने पर आमदा है। इस हेतु 2–2 दिन की तारीख पेशियां दी जा रही है। जिस कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा। जिसकी पूर्ति किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 उनवानी नरसी बनाम कैलाश व अन्य व प्रकरण संख्या 17/2020 उनवानी कैलाश बनाम नरसी व अन्य बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा के थे, जिनमें पक्षकार सुलह की जाकर दिनांक 02.10.2021 को लोक अदालत में निस्तारण किया गया है। अब उक्त प्रकरण अवमानना रामस्वरूप बनाम बाबूलाल का विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फैसला कर मौके पर रास्ता हेतु पाबन्द किया था, इस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण के निस्तारण में देरी करना चाहता है। इस कारण अप्रार्थी बहस नहीं करना चाहता है और प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहता है। अतः मुनतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन करे हुये अंकित किया गया है कि मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है और यह अवमानना का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। उक्त निर्णय में पक्षकारान को रास्ते हेतु दी गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त गैर मुमकिन रास्ते में छडी डाल कर अवरूद्ध कर दिया गया है।

8. प्रार्थी ने केवल छोटी तारीख पेशी दिये जाने से कथारा के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम रतन सिंह 1984 RRD

जिला कलक्टर
जयपुर

501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है।

9. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **03.03.2022** को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/3/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर